कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024 **दिनांक 19/10/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 18.10.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना जंगीपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब(लगभग 1026.5 लीटर कीमत करीब 22 लाख रुपए) बरामद करते हुए 04 नफर अन्तर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 18.10.2024 को थानाध्यक्ष थाना जंगीपुर शैलेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराहियान व स्वाट/सर्विलांस टीम गाजीपुर द्वारा अरशदपुर तिराहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त गण के पास से कुल 1182 अदद बोतल प्रत्येक 750/350ML. BLENBERS PRIDE व ROYAL STAG BARREL SELECT व ROYAL GREEN WHISKY व पांच अदद चार पहिया वाहन 02 अदद फर्जी नम्बर प्लेट तथा एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता-

1. रंजित कुमार पुत्र कपिल राय निवासी ताड़ी गोदाम पाचूचक अखण्डपुर थाना दानापुर जिला पटना बिहार उम्र 30 वर्ष,
2. राजेश रंजन पुत्र बेसलाल यादव निवासी ग्राम गुल्लीतार थाना पालीगंज जिला पटना बिहार उम्र 18 वर्ष,
3. आकाश कुमार पुत्र दीपक कुमार निवासी ग्राम सुलतानपुर पुलिस चौकी मठ थाना दानापुर जिला पटना बिहार उम्र 30 वर्ष,
4. अमित कुमार पुत्र श्री रामपुकार सिंह निवासी बबुरा बिन्द गांवा थाना कोईलवर जिला आरा भोजपुर बिहार उम्र 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास–

1. अभियुक्त अमित कुमार पुत्र श्री रामपुकार सिंह निवासी बबुरा बिन्द गांवा थाना कोईलवर जिला आरा भोजपुर बिहार उम्र 24 वर्ष

1.मु0अ0सं0 206/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना दिलदारनगर गाजीपुर

2. 60 आबकारी अधि0 का अभियोग थाना फुलवारी जिला पटना बिहार

2. अभियुक्त आकाश कुमार पुत्र दीपक कुमार निवासी ग्राम सुलतानपुर पुलिस चौकी मठ थाना दानापुर जिला पटना बिहार उम्र 30 वर्ष

2023 में 60 आबकारी अधि0 थाना शास्त्रीनगर जनपद पटना बिहार

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण

1.रंजीत कुमार पुत्र कपिल राय निवासी ताड़ी गोदाम पाचूचक अखण्डपुर थाना दानापुर जिला पटना बिहार उम्र 30 वर्ष

मु0अ0सं0 149/2024 धारा 319(2),318(2),338,336(2), 340(2) बीएनएस व 60/63 आबकारी अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

2.राजेश रंजन पुत्र बेसलाल यादव निवासी ग्राम गुल्लीतार थाना पालीगंज जिला पटना बिहार उम्र 18 वर्ष

1. मु0अ0सं0 149/2024 धारा 319(2),318(2),338,336(2), 340(2) बीएनएस व 60/63 आबकारी अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी

1.कुल 1182 अदद बोतल प्रत्येक 750/350ML. BLENBERS PRIDE व ROYAL STAG BARREL SELECT व ROYAL GREEN WHISKY

2. 02 अदद फर्जी नम्बर प्लेट

3. पांच अदद वाहन 1. वाहन संख्या UP 14FY 6232 क्रेटा, 2. वाहन संख्या JH 01BZ 2987 क्रेटा, 3.वाहन संख्या WB 02AE 1584 महिन्द्रा XUV500, 4. वाहन संख्या BR 05V 8100 VITARA BREZZA, 5. वाहन संख्या BR 01EM 8777 VITARA BREZZA

4. एक अदद देशी तमन्चा 0.315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर।

02. थाना नोनहरा पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज देशी तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.10.2024 को उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर ईट भट्ठा ग्राम हर्दिया थाना नोनहरा के पास से अभियुक्त सोनू उर्फ अनीस पुत्र स्व0 गामा खान निवासी ग्राम नोनहरा, थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष को एक अदद नाजायज देशी तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 166/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभियुक्त सोनू उर्फ अनीस पुत्र स्व0 गामा खान निवास नोनहरा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद नाजायज देशी तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सोनू उर्फ अनीस पुत्र स्व0 गामा खान निवास नोनहरा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष

01 .मु0अ0स0 167/13 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नोनहरा गाजीपुर
02 .मु0अ0स0 10/24 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0 अधि0 थाना नोनहरा गाजीपुर
03 . मु0अ0स0 10/19 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0 अधि0 थाना नोनहरा गाजीपुर
04 .मु0अ0स0 11/23 धारा 323,504,506 भादवि0 थाना नोनहरा गाजीपुर
05 .मु0अ0स0 188/19 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द क्रि0 कलाप अधि0 थाना नोनहरा गाजीपुर
06 .मु0अ0स0 51/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द क्रि0 कलाप अधि0 थाना भावरकोल गाजीपुर
07 .मु0अ0स0 145/22 धारा 307 भादवि0 थाना भावरकोल गाजीपुर
08 .मु0अ0स0 146/22 धारा 3/5A/8/5 गोवध नि0 अधि0 थाना भावरकोल गाजीपुर
09 .मु0अ0स0 147/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर
10 .मु0अ0स0 166/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

03. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा।'

दिनांक 18.10.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना नोनहरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 100/2019 धारा 341,504,506,352,307 भदावि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त सुदामा पासी पुत्र स्व0 खुरचन पासी निवासी ग्राम रानीपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त सुदामा पासी उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए धारा 341 भदावि में 01 माह का साधारण कारावास, धारा 352 भदावि में 03 माह का साधारण कारावास, धारा 504 भदावि में 01 वर्ष का साधारण कारावास, धारा 506 भदावि में 02 वर्ष का साधारण कारावास, धारा 307 भदावि में 10 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर